प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला – भ्र0नि0 ब्यूरो, कोटा थाना – प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र.नि.ब्यूरो, जयपुर
प्र0सू0रि0 संख्या 192/2023 दिनांक 10.07.2023

2. (1) अधिनियम–**भ्रष्टाचार निवारण अधि. 1988 (यथा संशोधित 2018) धारा– 13(1)(ख),13(2)**
(2) अधिनियम.....धाराऐं .....
(3) अधिनियम.....धाराऐं.....
(4) अन्य अधिनियम एवं .....धाराऐं.....

3. (क) घटना का दिन :– गुरूवार दिनांक – 04.05.2023
(ख) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक – दिनांक 04.05.2023
(ग) रोजनामचा संदर्भ प्रविष्टि संख्या .....884..... समय.....6:10 P.M.

4. सूचना कैसे प्राप्त हुई– (लिखित या मौखिक)..... **मौखिक**

5. घटनास्थल का ब्यौरा :–
(क) थाने से दिशा एवं दूरी –40 किलोमीटर, बीट संख्या.....
जुरामदेही सं.....
(ख) पता :– कोटा चित्तौडगढ मार्ग, धनेश्वर, टोल प्लाजा, जिला बून्दी
(ग) यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो, तब उस थाने का नाम.....जिला .....

6. शिकायतकर्त्ता/इतिला देने वाला :–
(क) नाम :– श्री अजीत बगडोलिया
(ख) पिता/पति का नाम :– श्री मदन लाल
(ग) जन्म तिथि/उम्र :– 43 साल
(घ) राष्ट्रीयता – भारतीय
(ड़) पासपोर्ट संख्या.....जारी करने की तिथि.....जारी करने का स्थान
(च) व्यवसाय – .....
(छ) पता :–

7. ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण :–

1. श्री अरूण कुमार पुत्र श्री नागेश्वर प्रसाद उम्र 48 साल जाति कुशवाह निवासी त्रिमूर्ति नगर, जखडी महादेव के पास, दानापुर थाना दानापुर केंट पटना, बिहार हाल क्वार्टर नम्बर–18, नारकोटिक्स कॉलोनी कोटा हाल निरीक्षक, कार्यालय जिला अफीम अधिकारी खण्ड प्रथम चित्तौडगढ।

8. शिकायत/इतिला देने वाले द्वारा सूचना देने में देरी का कारण :– कोई नहीं
9. चोरी हुई/लिखित सम्पति की विशिष्ठियां(यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें).....
10. चोरी हुई/लिखित सम्पति का कुल मूल्यः–2,16,350 रूपये।
11. पंचनामा/यूडी के संख्या (अगर हो तो).....
12. **प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषयवस्तु** :–

महोदय

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि दिनांक 04.05.2023 को श्री विजय स्वर्णकार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों कोटा को सूत्र सूचना इस आशय की प्राप्त हुई थी कि – केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, कार्यालय जिला अफीम अधिकारी, खण्ड–प्रथम जिला चित्तौडगढ में पदस्थापित श्री अरूण कुमार, निरीक्षक एक भ्रष्ट अधिकारी है, जो अफीम काश्तकारों से अवैध वसूली व रिश्वत की राशि एकत्रित कर वाहन डिजायर कार रजिस्ट्रेशन नम्बर–MP 14 CC 2787 से चित्तौडगढ से रवाना होकर कोटा की ओर आ रहा है। सूत्र सूचना विश्वसनीय होने से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा मन पुलिस निरीक्षक अजीत बगडोलिया को अग्रिम कार्यवाही हेतु निर्देश दिए। इस पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा सूत्र सूचना का अवलोकन किया, सूत्र सूचना विश्वसनीय होने एवं संदिग्ध अधिकारी के कार मारूति स्विफ्ट डिजायर रजिस्ट्रेशन नम्बर–MP 14 CC 2787 से चित्तौडगढ से रवाना होकर

शीघ्र ही कोटा पहुंचने की संभावना के मद्देनजर तथा समयाभाव के कारण तलाशी के लिए माननीय न्यायालय से सर्च वारण्ट प्राप्त किया जाना संभव नहीं था। अतः अग्रिम आकस्मिक चैकिंग की कार्यवाही के संबंध मे श्री बृजराज सिंह कानि. 159 को तहसीलदार लाडपुरा कोटा के नाम तहरीर दी जाकर गोपनीय कार्यवाही हेतु दो कर्मचारी तलब कर शीघ्र लेकर आने के हेतु भेजा था, जिस पर थोडी देर बाद श्री बृजराज सिंह कानि.159 कार्यालय तहसीलदार से दो स्वतंत्र गवाह श्री संजय कुमार मीणा पुत्र श्री रामप्रसाद मीणा उम्र 40 साल जाति मीणा निवासी मकान नंबर ए–12, ज्ञानसरोवर कोलोनी बूंदी रोड कोटा हाल भू अभिलेख निरीक्षक तहसील लाडपुरा कोटा एवं श्री महेश चित्तौड़ा पुत्र स्व. श्री कैलाश चन्द चित्तौडा जाति महाजन उम्र 33 साल निवासी मकान नंबर 558 सेक्टर 04 केशवपुरा कोटा हाल सहायक लेखाधिकारी तहसील लाडपुरा कोटा को हमराह लेकर कार्यालय हाजा उपस्थित आया। स्वतंत्र गवाहान् से परिचय प्राप्त कर उनकों सूत्र सूचना से अवगत कराया एवं आकस्मिक चैकिंग कार्यवाही मे बतौर स्वतंत्र गवाह रहने के संबंध में पूछा तो दोनों ने कार्यवाही मे बतौर स्वतंत्र गवाह रहने सहमति दी। इसके पश्चात समय 05:55 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान श्री संजय कुमार मीणा हाल भू अभिलेख निरीक्षक तहसील लाडपुरा कोटा एवं श्री महेश चित्तौड़ा हाल सहायक लेखाधिकारी तहसील लाडपुरा कोटा एवं श्री दिलीप सिंह वरिष्ठ सहायक, श्री बृजराज सिंह कानि. 159, श्री मुकेश कुमार कानि. 71, श्रीमती सरोज गौड म.कानि. 104 मय चालक मय सरकारी वाहन बोलेरो मय लेपटॉप, प्रिन्टर के कार्यवाही के लिए रवाना होकर समय 06:40 पी.एम. पर उपयुक्त स्थान टोल नाका धनेश्वर, कोटा–चित्तौडगढ रोड, जिला बूंदी पहुँचा तथा सूत्र सूचना के मुताबिक वांछित वाहन रजि.न.एमपी. 14–सीसी–2787 के इंतजार में मुकीम हुआ। समय 7.33 पीएम पर एक कार स्विक्ट डिजायर रजि.न.एमपी. 14– सीसी–2787 धनेश्वर टोल नाके पर चित्तौडगढ की तरफ से आकर रूकी, जिस पर मन पुलिस निरीक्षक मय जाप्ता स्वतंत्र गवाहान के कार के पास पहुंचा तथा कार को रूकवाया। कार मे चालक सीट पास वाली सीट पर एक महिला व अन्य तीन पुरूष बेठे हुए थे, जिनको मन पुलिस निरीक्षक ने अपना, एसीबी टीम व स्वतंत्र गवाहान का परिचय देते हुए उपस्थित होने का मंतव्य बताया, वाहन को टोल नाके से आगे सडक पर बाई साईड की ओर खडा करवाया। कार में बैठे हुए महिला व पुरूषों से नाम पता पूछा तो कार चालक ने अपना नाम अरूण कुमार पुत्र श्री नागेश्वर प्रसाद उम्र 48 साल जाति कुशवाह निवासी त्रिमूर्ति नगर, जखडी महादेव के पास, दानापुर थाना दानापुर केंट पटना बिहार हाल क्वार्टर नम्बर 18, नारकोटिक्स कॉलोनी कोटा हाल निरीक्षक कार्यालय जिला अफीम अधिकारी खण्ड प्रथम चितौडगढ होना बताया। कार में मौजूद महिला ने अपना नाम रंजना पाठक पत्नी श्री मनीष पाठक जाति ब्राहाण उम्र 51 साल निवासी मकान नम्बर 2 एम 6, रंगबाडी योजना कोटा हाल जिला अफीम अधिकारी खण्ड द्वितीय चितौडगढ स्थानान्तरधीन अधीक्षक सर्तकता कार्यालय उप आयुक्त नारकोटिक्स कोटा होना बताया। कार में पीछे की सीट पर बैठे दोनों व्यक्तियों में से एक ने अपना नाम किशनलाल छापरिया पुत्र श्री सोहन लाल छापरिया जाति कोली उम्र 57 साल निवासी मकान नम्बर ई–29, तानसेन नगर, थाना हजिरा ग्वालियर मध्यप्रदेश हाल क्वार्टर नम्बर एनटी 3/22 नारकोटिक्स कॉलोनी कोटा हाल जिला अफीम अधिकारी खण्ड प्रथम चितौडगढ तथा दूसरे ने अपना नाम अजय पुत्र कुलदीप उम्र 30 साल जाति चमार निवासी वार्ड नम्बर 07, मिली गेट, विनोद नगर हिसार हाल आन्नद विहार कॉलोनी चितौडगढ हाल उप निरीक्षक कार्यालय जिला अफीम अधिकारी खण्ड प्रथम चितौडगढ होना बताया। मन पुलिस निरीक्षक ने उक्त चारों को सूत्र सूचना से अवगत कराते हुए वाहन एवं स्वयं की तलाशी लेने के बारे में बताया तो चारों ने स्वेच्छा से तलाशी बाबत सहमति दी। इस पर मन पुलिस निरीक्षक ने तलाशी से पूर्व स्वयं एवं हमराहीयान की तलाशी लेने हेतु कहा तो सभी ने विश्वास जताते हुए तलाशी लेने से मना किया। वाहन चालक श्री अरूण कुमार, निरीक्षक से वाहन के संबंध में पूछा तो उसने वाहन स्वयं के नाम से रजिस्टर्ड होना बताया। इस पर वाहन की तलाशी स्वतंत्र गवाहान से लिवाई गई तो वाहन के डेस बोर्ड में अरूण कुमार का पहचान पत्र केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो उप निरीक्षक का मिला, राशि **2150** रूपये मिले जो स्वतंत्र गवाह श्री संजय मीणा के पास सुरक्षित रखवाये, वाहन की आर.सी. फोटोप्रति, बीमा की फोटोप्रति, प्रदूषण नियंत्रण ब्यूरो के प्रमाण पत्र की फोटोप्रति रखे हुए मिले, डी.पी. ज्वेलर्स, बल्लभनगर कोटा की ईएमआई की दो रसीदे 5–5 हजार रूपयें की दिनांक 21.03.2023, 11.04.2023 की मिली एवं .गियर बॉक्स के पास एक भूरे रंग का पर्स जिसमें केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो का निरीक्षक का पहचान पत्र जिसमें जिला अफीम अधिकारी चित्तौडगढ पदस्थापन

अंकित है मिला, एक आधार कार्ड नंबर 333711637628. स्वयं का मिला। चालक सीट के मध्य के स्थान में सीट कवर के अन्दर 500–500 रूपये की दो गड्डियां मिली जिन्हें स्वतंत्र गवाहान से गिनवाया तो दोनों गड्डियों में 500–500 के 200 नोट कुल **1,00,000 रूपये** है जो, अरूण कुमार ने स्वयं के होना बताया। एक लाख रूपये स्वतंत्र गवाह श्री संजय मीणा के पास सुरक्षित रखवाये। सहचालक सीट के पीछे की तरफ सीट कवर की जेब में एक मोबाइल एलवाईएफ कंपनी का काले रंग का टूटा हुआ, जिसमें रबरबेण्ड में लगे हुए राशि 500–500 रूपये के 04 नोट कुल **2,000/–** रूपये मिले, जो अरूण कुमार ने स्वयं के होना बताया जिन्हें स्वतंत्र गवाह श्री संजय मीणा के पास सुरक्षित रखवाया। वाहन की पिछली सीट पर बीच में 05 सांवरिया सेठ मंदिर के प्रसाद के डिब्बे, एक गुलाबजामुन का डिब्बा, एक स्टील की पानी की बोतल मिली, प्रसाद के डिब्बों के बारे में मंदिर से सभी ने अलग–अलग प्रसाद लेना बताया। स्वतंत्र गवाहान से वाहन की डिक्की की तलाशी लिवाई गई तो उसमें बेग व अन्य सामान रखे हुए हैं, श्री अरूण कुमार ने एक काले रंग का बैग एवं छोटा हैण्ड बैग स्वयं का होना बताया। काले बैग में इस्तेमाली पेन्ट शर्ट, मोबाइल चार्जर, बेडशीट, एक लेपटॉप लिनोवो कंपनी का मय चार्जर मिला। छोटे हैण्ड बैग में स्टेपलर, कैंची, पेन, चश्मा, फोटो, सेलोटेप एवं **1500** रूपये 500–500 रूपये के 03 नोट मिले। एक कपडें के थैले में चार प्लास्टिक की थैलियों में बंधा हुआ पोस्त दाना मिला जो अरूण कुमार ने स्वयं के होना बताया।

इसके पश्चात स्वतंत्र गवाह श्री महेश चित्तौड़ा से अरूण कुमार की जामा तलाशी लिवाई गई तो उसकी पहनी हुई जींस की पेन्ट की बाई जेब में 500–500 रूपये के 62 नोट कुल **31,000/–रू.**, जींस की दाहिनी जेब में 2000 रूपये के 05 नोट, 500 रूपये के 80 नोट कुल **50,000/–रूपये**, जींस के पीछे की दाहिनी जेब में 500–500 रूपये के 38 नोट कुल **19,000/–रू.**, पेन्ट की पीछे की बाईं जेब में 500–500 रूपये के 20 नोट कुल **10,000/–रूपये** मिले। उसकी पहनी हुई शर्ट की जेब में **700/–रूपये** मिले तथा एक मोबाइल एप्पल कंपनी आईफोन मिला। इसके पश्चात श्री अजय पुत्र कुलदीप उम्र 30 साल जाति चमार निवासी वार्ड नम्बर 07, मिली गेट, विनोद नगर हिसार हाल आन्नद विहार कॉलोनी चितौडगढ हाल उप निरीक्षक कार्यालय जिला अफीम अधिकारी खण्ड प्रथम चितौडगढ का कार की डिक्की में एक काले रंग का बैग स्वयं का होना बताया जिसमें इस्तेमाली कपड़े लोअर, टीशर्ट, जींस, शर्ट, जूते, खाने का टिप्पन, पावर बैक मोबाइल चार्जर, दवाईयां, तेल साबुन आदि मिले। श्री अजय कुमार की जामा तलाशी श्री महेश चित्तौडा स्वतंत्र गवाह से लिवाई गई तो पहनी हुई पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब में **9160/–रूपये** तथा पहनी हुई जींस की पेन्ट की बाई जेब में एक लाल रंग का पर्स मिला जिसमें **830/–रूपये**, विभागीय परिचय पत्र, ड्राईविंग लाईसेन्स, आधार कार्ड एवं दो एटीएम यूनियन बैंक व एचडीएफसी बैंक के मिले, एक स्वयं की फोटो मिली तथा दो मोबाइल क्रमशः ओप्पो कंपनी एफ–09 एवं एप्पल कंपनी आईफोन–13 मिले।

श्री किशनलाल छापरिया पुत्र श्री सोहन लाल छापरिया जाति कोली उम्र 57 साल निवासी मकान नम्बर ई–29, तानसेन नगर, थाना हजिरा ग्वालियर मध्यप्रदेश हाल क्वार्टर नम्बर एनटी 3/22 नारकोटिक्स कॉलोनी कोटा हाल जिला अफीम अधिकारी खण्ड प्रथम चितौडगढ का वाहन में बैग आदि कोई सामान नहीं होना बताया, जिसकी जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री महेश चित्तौडा से लिवाई गई तो पहनी हुई पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब में एक पर्स मिला जिसमें विभागीय परिचय पत्र एवं 2610/–रूपये एवं दाईं जेब से एक मोबाइल सैमसंग कंपनी का ए–23–05जी मिला। श्रीमती रंजना पाठक पत्नी श्री मनीष पाठक जाति ब्राहाण उम्र 51 साल निवासी मकान नम्बर 2 एम 6, रंगबाडी योजना कोटा हाल जिला अफीम अधिकारी खण्ड द्वितीय चितौडगढ स्थानान्तरधीन अधीक्षक सर्तकता कार्यालय उप आयुक्त नारकोटिक्स कोटा के दो बैग एक काले रंग का एवं एक भूरे रंग का मिला जो वाहन की डिक्की में मिले। काले रंग के लेपटॉप बैग में कार्यालय की डाक, फाईल, एक हैण्डबेग जिसमें पेन कार्ड, आधार कार्ड, सीजीएचएच कार्ड, बेस्ट प्राईस शॉपिंग कार्ड, एक विभागीय परिचय पत्र, एसबीआई एवं सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया के एटीएम कार्ड, दो पेन ड्राइव सेन डिस्क कंपनी के, मोबाइल चार्जर व 3650/–रूपये मिले। भूरे रंग के बैग में चप्पल, साबुन, टिप्पन, गिलास, कॉस्मेटिक सामान व लेडिज कपडे आदि मिले। श्रीमती रंजना पाठक की जामा तलाशी श्रीमती सरोज महिला कानि से लिवाई गई तो पहनी हुई जींस की जेब में एक मोबाइल सैमसंग कंपनी एम–51 मिला।

श्री अरूण कुमार निरीक्षक, केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, चित्तौडगढ से मिली उक्त राशि 2,16,350/–रूपये के बारे में मन पुलिस निरीक्षक ने पूछा तो उसने बताया कि एकादशी के दिन मेरी पत्नी श्रीमती अनिता कोटा से चित्तौडगढ आई थी। हमें गोल्ड खरीदने के लिए रतलाम जाना था, इसलिए मेरी पत्नी कोटा से 2,00,000/–रूपये साथ लेकर आई थी। मैं अफीम तोल की ड्यूटी में व्यस्त होने के कारण रतलाम नहीं जा सका था, इसलिए दूसरे दिन मेरी पत्नी वापस कोटा चली गई थी और 02 लाख रूपये मेरे पास ही छोड गई थी। आगे तीन दिन की छुट्टी होने से मैं आज कोटा जा रहा था, इसलिए मैं 02 लाख रूपये अपने साथ लेकर आया हूं। दो लाख रूपये के अलावा अन्य राशि मेरे खर्चे की है। कार के डेस बोर्ड से मिली डी.पी. ज्वेलर्स की किश्तों की रसीदों के बारे में पूछा तो .अरूण कुमार ने बताया कि यह रसीदें मेरी पत्नी अनिता की है जो डीपी ज्वेलर्स की सेविंग स्कीम में राशि जमा कराने से संबंधित है।

श्री अजय उप निरीक्षक से उसके पास मिली राशि 9,990/–रूपये के बारे में पूछा तो उसने बताया कि मैं 28.04.2023 को मेरे गांव हिसार, हरियाणा गया था जहां से मैं कल ही वापस आया था। गांव से आते समय मेरी मां श्रीमती सरोज देवी ने मुझे खर्चे के लिए 9,000/–रूपये दिये थे और मुझे आज कोटा पहुंच कर ट्रेन से हिसार जाना है इसलिए मैं अरूण कुमार की कार में उनके साथ बैठ कर आया हूं। श्री किशनलाल छापरिया जिला अफीम अधिकारी चित्तौडगढ से जामा तलाशी के दौरान मिले राशि 2610/–रूपये के बारे में मन पुलिस निरीक्षक द्वारा पूछा तो उसने स्वयं के खर्चे के लिए वेतन खाते से निकालना बताया। आगामी तीन दिन अवकाश होने से मुझे कोटा स्थित मेरे घर पर आना था इस कारण में श्री अरूण कुमार के साथ उनकी कार में बैठ कर आया हूं। श्रीमती रंजना, अधीक्षक, से मन पुलिस निरीक्षक ने उसके हैण्डबैग में मिली राशि 3650/–रूपये के बारे में पूछा तो उन्होंने घर खर्च के वेतन खाते से निकालना बताया। चित्तौडगढ से मेरा स्थानान्तरण अधीक्षक, सर्तकता, कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त, कोटा में होने से मुझे आज रिलीव होकर कोटा आना था इस कारण में श्री अरूण कुमार के साथ उनकी कार में बैठ कर आयी हूं। मौके पर तलाशी के पश्चात अग्रिम कार्यवाही हेतु मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान, श्री अरूण कुमार, श्री किशनलाल, श्री अजय, श्रीमती रंजना पाठक मय वाहन के टोल नाके के पास बने टोल नाके के प्रशासनिक भवन में पहुंचे तथा कार्यालय में एक कक्ष में बैठ कर अग्रिम कार्यवाही प्रारंभ की गई। संदिग्ध अधिकारी श्री अरूण कुमार से मिली राशि 2,16,350/–रूपये के बारे में पुनः पूछताछ की गई तो पूर्वोक्त कथन दोहराए। अरूण कुमार द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण .की स्वतंत्र गवाहान के समक्ष वीडियो रिकॉर्डिंग श्री बृजराज सिंह कानि. 159 के मोबाइल से पृथक से करवाई गई। श्री अजय उप निरीक्षक, श्री किशनलाल छापरिया जिला अफीम अधिकारी, श्रीमती रंजना पाठक, अधीक्षक द्वारा उनके पास तलाशी में मिली राशि के बारे में जवाब संतोषजनक होने एवं राशि कम होने के कारण राशि, मोबाइल व सामान आदि उन्हें दुरूस्त हालत में संभलाए गए।

सूत्र सूचना के मुताबिक आकस्मिक चैकिंग में श्री अरूण कुमार, निरीक्षक, कार्यालय जिला अफीम अधिकारी, खण्ड–प्रथम, जिला चित्तौडगढ की स्वयं की कार एवं जामा तलाशी में मिली राशि **2,16,350/**–रूपये के संबंध में श्री अरूण कुमार दिया गया जवाब संतोषजनक नहीं था। उक्त राशि सूत्र सूचना के मुताबिक अफीम काश्तकारों से अवैध वसूली व रिश्वत के तौर पर लिया जाना प्रतीत होने के कारण संदिग्ध राशि 2,16,350/–रूपये को नियमानुसार जब्त कर कब्जे एसीबी लिया गया। वाहन का रजिस्ट्रेशन, बीमा, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र की छायांप्रति, अरूण कुमार के दो परिचय पत्र, आधार कार्ड एवं डी.पी. ज्वेलेर्स की सेविंग स्कीम की दो रसीदों की छायाप्रति पर संदिग्ध व गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया। आकस्मिक चैकिंग के दौरान मिले अन्य सामान एवं वाहन को दुरूस्त हालत में श्री अरूण कुमार निरीक्षक को सुपुर्द किया गया। कार्यवाही की फर्द आकस्मिक चैकिंग नियमानुसार तैयार की जाकर शामिल पत्रावली की गई।

आकस्मिक चैकिंग के पश्चात दिनांक 05.05.2023 को मन पुलिस निरीक्षक मय एसीबी जाप्ता, संदिग्ध श्री अरूण कुमार निरीक्षक की पत्नी श्रीमती अनिता कुमारी से जप्तशुदा राशि के संबंध मे स्पष्टीकरण लेने हेतु श्री अरूण कुमार निरीक्षक के आवास क्वार्टर नम्बर एनटी–III/18, नारकोटिक्स कॉलोनी कोटा पहुँचा, जहॉ पर ताला लगा हुआ मिला, श्री अरूण कुमार निरीक्षक तथा उसकी पत्नी श्रीमती अनिता कुमारी के मोबाईल पर कॉल किया तो दोनो के मोबाईल स्वीच ऑफ होना पाया। इसके पश्चात दिनांक 06.05.2023 को श्रीमती अनिता

कुमारी पत्नी श्री अरूण कुमार उम्र 46 साल जाति कुशवाहा हाल निवासी क्वार्टर नम्बर एनटी–III/18, नारकोटिक्स कॉलोनी कोटा ने स्वयं द्वारा हस्तलिखित स्पष्टीकरण पेश किया जिसमे अंकित किया कि – मेरे पति श्री अरूण कुमार नारकोटिक्स मे निरीक्षक के पद पर चित्तोडगढ मे पदस्थ है, मै बच्चों को लेकर पढाई के लिए कोटा मे रहती हूँ, आगे कथन करती हूँ कि दिनांक 04.05.2023 को हमारे पति श्री अरूण कुमार से जप्त राशि के संबंध मे लेख है कि जप्त राशि मे से दो लाख मेरे थे, जिसको मेरे भाई प्रदीप कुमार सिंह द्वारा मेरी पुत्री ऑशीराज मेहता, जो कुछ दिन पहले ही बिहार गई थी, को रामनवमी के दिन उक्त राशि नगद अपने माता पिता के 50वीं वर्ष गॉठ, (जो जून मे है) पर सोने की ज्वैलरी खरीदने के लिए दिया था, उसको मेरे पुत्री दिनांक 09.04.2023 को बिहार से चलकर दिनांक 10.04.2023 को कोटा पहुॅची थी। उक्त राशि दो लाख रूपये मेरी पुत्री द्वारा मुझे लाकर दिया गया था, जिसको मै अपने साथ लेकर दिनांक 13.04.2023 को चितौड गयी थी और वहॉ से मुझे अपने पति के साथ रतलाम जाना था, जहॉ से अपने माता–पिता के शादी के सालगिरह पर कुछ ज्वैलरी लेनी थी, परन्तु मेरे पति अफीम तौल कार्य मे व्यस्त होने के कारण वो रतलाम नहीं जा पाये, इसी बीच मेरी पुत्री का तबीयत खराब होने के कारण उक्त राशि मै चितौडगढ मे ही छोडकर वापस कोटा आ गयी कि बाद मे कभी फुर्सत होने पर रतलाम चलेगे। परन्तु घरेलू कार्य के अधिकता के कारण मै वापस चितौडगढ नहीं जा पाई। दिनांक 04.05 को हमारे पति तीन दिन का शासकीय अवकाश होने के कारण कोटा आ रहे थे तो मै फोन पर बोली कि किराये के मकान मे कोई नहीं रहेगा, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से उक्त राशि साथ मे लेते आईएगा। श्रीमती अनिता कुमारी का स्पष्टीकरण शामिल पत्रावली किया गया।

सम्पूर्ण आकस्मिक चैकिंग कार्यवाही से पाया गया है कि – सूत्र सूचना इस आशय की प्राप्त हुई थी कि "केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, कार्यालय जिला अफीम अधिकारी, खण्ड– प्रथम जिला चित्तौडगढ में पदस्थापित श्री अरूण कुमार, निरीक्षक एक भ्रष्ट अधिकारी है, जो अफीम काश्तकारों से अवैध वसूली व रिश्वत की राशि एकत्रित कर वाहन डिजायर कार रजिस्ट्रेशन नम्बर – MP 14 CC 2787 से चित्तौडगढ से रवाना होकर कोटा की ओर आ रहा है।" सूत्र सूचना पर आकस्मिक चैकिंग के दौरान श्री अरूण कुमार, निरीक्षक, कार्यालय जिला अफीम अधिकारी, खण्ड–प्रथम, जिला चित्तौडगढ की स्वयं की कार एवं जामा तलाशी में राशि **2,16,350/–**रूपये मिले है। श्री अरूण कुमार, निरीक्षक से मिली राशि **2,16,350/–**रूपये मे से **1,00,000 रूपये** चालक सीट के मध्य के स्थान में सीट कवर के अन्दर से, **31,000/–**रूपये जींस की पेन्ट की बाई जेब से, **50,000/–रू**पये जींस की दाहिनी जेब से, **19,000/–रू** जींस के पीछे की दाहिनी जेब से, **10,000/–रू**पये पेन्ट की पीछे की बाईं जेब से तथा पहनी हुई शर्ट की जेब में **700/–रू**पये मिले तथा डेस बोर्ड में **2150** रूपये, सहचालक सीट के पीछे की तरफ सीट कवर की जेब में **2,000/–** रूपये तथा छोटे हैण्ड बैग मे **1500** रूपये मिले है। इस प्रकार जप्तशुदा राशि अरूण कुमार द्वारा अलग–अलग स्थान पर रखी गई थी। श्री अरूण कुमार, निरीक्षक ने उक्त राशि मे से 2 लाख रूपये स्वयं की पत्नी श्रीमती अनिता कुमारी द्वारा रतलाम से ज्वैलरी खरीदने के लिए कोटा से लेकर आना बताया था। श्रीमती अनिता कुमारी द्वारा दो लाख रूपये की राशि उसके भाई प्रदीप कुमार सिंह द्वारा माता–पिता की 50वीं वर्षगांठ (जो जून मे है) पर ज्वैलरी खरीदने के लिए बिहार से 09.04.2023 को स्वयं की पुत्री आंशीराज को देकर भेजना बताया है तथा दिनांक 13.05.2023 को स्वयं द्वारा रतलाम से ज्वैलरी खरीदने के लिए चितौडगढ लेकर जाना बताया है। श्री अरूण कुमार, निरीक्षक व उसकी पत्नी श्रीमती अनिता कुमारी द्वारा दिया गया स्ष्टीकरण संतोषजनक नहीं है तथा राशि जप्त करने के पश्चात सोच विचार कर दिया गया होना प्रतीत होता है।

संदिग्ध श्री अरूण कुमार, निरीक्षक के कब्जे मे मिली राशि **2,16,350/–**रूपये के प्राप्ति स्त्रोंत एवं राशि कब्जे मे रखने का संतोषजनक, समाधानप्रद व युक्तियुक्त कारण नहीं बताया है। एक दिवसीय आकस्मिक चैकिंग मे संदिग्ध श्री अरूण कुमार निरीक्षक द्वारा वैध आय के ज्ञात स्त्रोत से अनानुपातिक राशि कुल **2,16,350/–**रूपये कब्जे मे रखना तथा कब्जे मे मिली राशि का प्राप्ति स्त्रोंत एवं राशि कब्जे मे रखने का संतोषजनक, समाधानप्रद व युक्तियुक्त कारण नहीं बताने का कृत्य धारा 13(1)(ख), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी मे आता है।

दौराने आकस्मिक चैकिंग वाहन रजिस्ट्रेशन नम्बर MP 14 CC 2787 मौजूद श्री किशनलाल छापरिया, जिला अफीम अधिकारी, खण्ड प्रथम, चितौडगढ, श्रीमती रंजना पाठक, जिला अफीम अधिकारी खण्ड द्वितीय चितौडगढ एवं श्री अजय, उप निरीक्षक, कार्यालय जिला अफीम अधिकारी खण्ड प्रथम चितौडगढ की प्रकरण मे संलिप्तता दौराने अनुसंधान ज्ञात की जावेगी।

अतः श्री अरूण कुमार पुत्र श्री नागेश्वर प्रसाद उम्र 48 साल जाति कुशवाह निवासी त्रिमूर्ति नगर, जखडी महादेव के पास, दानापुर थाना दानापुर केंट पटना बिहार हाल क्वार्टर नम्बर 18, नारकोटिक्स कॉलोनी कोटा हाल निरीक्षक कार्यालय जिला अफीम अधिकारी खण्ड प्रथम चितौडगढ के विरूद्ध धारा 13(1)(ख), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक पुलिस भ्र0नि0 ब्यूरो राजस्थान जयपुर की सेवामे सादर प्रेषित है।

भवदीय

(अजीत बगडोलिया)
पुलिस निरीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,कोटा

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री अजीत बगडोलिया, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से अपराध अन्तर्गत धारा 13(1)(ख), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री अरूण कुमार पुत्र श्री नागेश्वर प्रसाद, निरीक्षक, कार्यालय जिला अफीम अधिकारी खण्ड प्रथम चित्तौडगढ़ के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 192/2023 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

(रणधीर सिंह)
उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक 2352-55 दिनांक 18.7.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा।
2. नारकोटिक्स आयुक्त, जिला ग्वालियर, मध्य प्रदेश।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।

उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।